

**ग्राम पंचायत सौर, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.14 से 31.03.17**

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सौर, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति आशा देवी	01.04.14 से 22.01.16
2	श्री यशवंत सिंह	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति सुमन कुमारी	01.04.14 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत सौर, विकास खण्ड बिझड़ी के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते के अन्तशेष में अन्तर	0.15
2	4.2	बैंक में जमा राशि का रोकड़ बही में रख रखाव न करना	1.57
3	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.36
4	6	अनुदान का उपयोग न करना	27.81
5	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.96

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सौर, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री विद्यासागर, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 08.11.17 से 15.11.2017 तक ग्राम पंचायत

कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	02/2015	09/2014
2015-16	12/2015	09/2015
2016-17	10/2016	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत सौर, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 546 दिनांक 15.11.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 179628 (KCCB) दिनांक 20.11.17 के माध्यम से उक्त राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत सौर, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **स्व स्रोत :-** ग्राम पंचायत सौर, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	83317.00	168479.00	251796.00	108933	142863.00
2015-16	142863.00	152902.50	295765.50	89263	206502.50
2016-17	206502.50	195968.00	402470.50	166533	235937.50

(2) **अनुदान :-** ग्राम पंचायत सौर, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	1288177.68	4185052	5473229.68	2827946.05	2645283.63
2015-16	2645283.63	3153246	5798529.63	3747324.98	2051204.65
2016-17	2051204.65	3547373	5598577.65	2817762.93	2780814.72

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्रोत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹235937.50

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹2780814.72

स्व स्रोत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में

दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष : ₹3016752.22

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹3044541.54

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि : ₹362.98

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN-A, KCCB -67624	280217.32
13th & 14th FC, PNB -507304	1872200.54
GEN-B, KCCB -67396	892123.68
MNREGA, PNB -43475	0
MNREGA, KCCB -67476	0
कुल राशि	3044541.54

Bank Reconciliation Statement

Particulars	Debit	Credit
Balance a per Cash Book as on 31.03.17	3016752.22	-
Cheque issued but not cleared up to 31.03.17	42776	-
Ch. No 207676 Dated 23.03.17, ₹5600 (GCB)		
Ch. No 207677 Dated 23.03.17, ₹8364 (GCB)		
Ch. No 207678 Dated 23.03.17, ₹21956 (GCB)		
Ch. No - Dated – (CBP-194), ₹4529 (Own Source)		
Ch. No 206748 Dated 07.03.17, ₹1000 (Own Source)		
Ch. No 206751 Dated 23.03.17, ₹1327 (Own Source)		
Cash in Hand (Own Source)	-	362.98
Balance as per Pass Book	-	3044541.54
Difference		14623.70
Total	₹3059528.22	₹3059528.22

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹0.15 लाख का अन्तर:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है। जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹14624 का अन्तर पाया गया। जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या

545 दिनांक 15.11.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 172 दिनांक 23.11.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अन्तर ₹14624 बारे जांच उपरान्त अवगत करवा दिया जायेगा। अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों से बैंक खातों के शेष के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 बैंक में जमा राशि ₹1.57 लाख का रोकड़ बही में रख रखाव न करना:-

जांच में पाया गया कि पंचायत में निम्नलिखित बैंक खाते (हरियाली) खोले गये थे जिनमें दिनांक 31.03.17 को ₹157348 जमा थे एवं इन खातों के रख-रखाव की रोकड़ बही अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे इन खातों से किए गए व्ययों की जांच नहीं की जा सकी। अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 545 दिनांक 15.11.17 द्वारा रोकड़ बही प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 172 दिनांक 23.11.17 द्वारा सूचित किया गया कि इन खातों का रख-रखाव रोकड़ बही में कर लिया जायेगा। अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं भविष्य में प्रत्येक बैंक खातों का रख-रखाव रोकड़ बही में करना सुनिश्चित करें। खातों का विवरण निम्नलिखित है:-

खाता संख्या	दिनांक 31.03.17 को जमा राशि
KCCB- 20061033286	30772
KCCB- 20061051411	126576

4.3 जांच में पाया कि स्व स्रोत की रोकड़ वही के पृष्ठ-194 में दिनांक 31.03.17 को ₹4529 का चैक लम्बित (Outstanding) दर्शाया गया था जो कि दिनांक 01.04.14 से पूर्व का लम्बित था, लेकिन चैक संख्या व चैक किसे जारी किया गया था, का विवरण नहीं दिया गया था। अतः उक्त चैक के पूरे विवरण से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

5 पंचायत राजस्व ₹0.36 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर, मोबाइल टावर फीस व विवाह पंजीकरण फीस के रूप में वसूली हेतु ₹35575 शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व ₹35575 की वसूली शेष थी।

(ii) अंकेक्षण अधियाचना संख्या 545 दिनांक 15.11.17 द्वारा पंचायत क्षेत्र में स्थापित कुल मोबाइल टावर की संख्या से अवगत करवाने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 172 दिनांक 23.11.17 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि पंचायत क्षेत्र में कुल 5 मोबाइल टावर स्थापित हैं, जिसमे से बीएसएनएल की नवीनीकरण फीस अंकेक्षण अवधि में वसूल नहीं की गई थी एवं एयरसेल का टावर दिनांक 01.07.2006 में स्थापित किया गया था एवं दिनांक 16.06.10 को चेन्नई नेटवर्क इन्फ्राटेल लिमिटेड (CNIL) को दे दिया गया था, लेकिन इसकी पंजीकरण फीस/ नवीनीकरण फीस प्राप्त नहीं की जा रही है। अतः अंकेक्षण अवधि में BSNL के मोबाइल टावर की नवीनीकरण फीस ₹7500 (वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक ₹2500 प्रति वर्ष) की वसूली करना अपेक्षित है एवं एयरसेल टावर की फीस ₹25500 (पंजीकरण फीस ₹4000 एवं नवीनीकरण फीस 2007-08 से 2013-14 तक ₹14000 (2 X 7000) एवं 2014-15 से 2016-17

तक ₹7500 (3X2500), वसूली योग्य है। अतः मोबाइल टावर की कुल फीस ₹33000 की शीघ्र वसूली करना सुनिश्चित करें एवं मोबाइल टावर की नवीनीकरण फीस के रख-रखाव का रजिस्टर तैयार करना भी सुनिश्चित करें।

(iii) अंकेक्षण अध्याचना संख्या 545 दिनांक 15.11.17 द्वारा दिनांक 31.03.17 तक गृह कर की बकाया राशि बारे जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 172 दिनांक 23.11.17 द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 31.03.17 को गृहकर के रूप में ₹750 वसूली हेतु बकाया थी। अतः गृहकर की समस्त बकाया राशि की वसूली करने के साथ-2 गृहकर का रजिस्टर भी तैयार करना सुनिश्चित करें।

(iiii) शादी की पंजीकरण फीस के रूप में ₹1825 की कम वसूली :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400 (बी.पी.एल.परिवार ₹50) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। जांच में पाया कि माह 11/2016 से 03/2017 तक में निम्न विवरणानुसार ₹1825 पंजीकरण फीस के रूप में वसूल नहीं किए गए थे, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें। विवरण निम्नलिखित है :-

विवाह पंजीकरण रजिस्टर क्रमांक संख्या	नाम	विवाह की दिनांक	पंजीकरण की दिनांक	वसूली योग्य पंजीकरण राशि
29 (2016)	श्री दीपक कोडल	10.10.16	04.11.16	200-50=150
30	श्री कर्म चंद	19.10.16	09.11.16	200
31	श्री लाल सिंह	04.11.16	15.11.16	200-20=180
32	श्री राजेन्द्र कुमार	01.11.16	22.11.16	200-40=160
33	श्री पंकज कुमार (BPL)	16.11.16	28.11.16	25
34	श्री राजेश कुमार	24.11.16	13.12.16	200-50=150
35	श्री संजय कुमार	01.12.16	13.12.16	200-20=180
36	श्री देवकान्त प्रेमी	25.11.16	13.12.16	200-20=180
38	श्री नीरज कुमार	16.11.16	23.12.16	400-200=200
1 (2017)	श्री पवन कुमार	24.11.16	16.01.17	400-200=200
3	श्री जितेन्द्र सिंह	23.01.17	27.02.17	400-200=200
कम वसूली गई राशि				₹1825.00

उक्त राशि की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 545 दिनांक 15.11.17 द्वारा कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 172 दिनांक 23.11.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त ₹1825 की वसूली कर ली जाएगी। अतः वसूली करके पंचायत के निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

6 अनुदान ₹27.81 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹2780814.72 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.96 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-2 में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹195565 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत की अतिरिक्त राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाए।

9 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/ अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/ अभिलेखों का रख

रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर।
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. मोबाइल टावर की नवीनीकरण फीस के रख-रखाव का रजिस्टर तैयार न करना।

10 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 लघु आपति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

12 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6) 44/2017 खण्ड-7-2828-2831 दिनांक 24.04.2018 शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर हि0प्र0।
- 4 सचिव, ग्राम पंचायत सौर, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

पंजीकृत

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881